न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–207 / 2026

(लछुआड़ थाना कांड संख्या 136 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

विश्वनाथ तांती एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

आदेश

12.03.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **1. विश्वनाथ तांती** पे0 मशुदन तांती उम्र 38 वर्ष **2. साहेब तांती उर्फ गोरेलाल तांती** पे0 बाबूलाल तांती उम्र 29 वर्ष, **3. राजो तांती** पे0 छोटन तांती उम्र 68 वर्ष **4. अनूप कुमार** पे0 लटरू तांती उम्र 24 वर्ष **5. नितिश कुमार** पे0 लटरू तांती 40 वर्ष **6. मनोज तांती** पे0 राजो तांती उम्र 35 वर्ष **7. नगीना देवी** पति साहेब तांती उम्र 38 वर्ष **8. कान्ती देवी** पति विश्वनाथ तांती उम्र 40 वर्ष सभी साकिनान नवाबगंज, थाना लछुआड़, जिला जमुई के द्वारा लछुआड़ थाना कांड संख्या 136 / 2025 में धारा 115(2), 126(2), 117(2), 303(2), 351(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 29.10.25 को समय करीब 10 बजे दिन में सूचिका अपने घर में खाना खाने बैठी थी। तभी सूचिका के ग्रामीण विश्वनाथ तांती पे0 मसुदन तांती, साहेब तांती उर्फ गोरेलाल तांती पे0 बाबूलाल तांती, राजो तांती, अनूप कुमार, नितीश कुमार दोनों पे0 मटरू तांती, अविनाश कुमार पे0 विश्वनाथ तांती सभी सा0 नवाबगंज, थाना लछुआड़ जिला जमुई अपने अपने हाथ में लाठी, डंउा लिये गालीा गलौज करते हुए सूचिका के घर पर चढ़ गये। सूचिका खाना से उठकर गाली देने से मना की तो उक्त सभी लोग जान मारने के नियत से सूचिका के पति नवल किशोर तांती एवं लड़का जयनंदन कुमार, नीतीन कुमार को मारपीट कर जख्मी कर दिया जिसमें सूचिका के पति का दाहिना हाथ टूट गया एवं जयनंदन का सिर लोहे के रॉड से फाड़ दिया। उधर से नगीना देवी पति साहेब तांती, क्रांति देवी पति विश्वनाथ तांती दोनो सा0 नवाबगंज आयी और ईंट चलाकर सूचिका के पैर पर एवं लड़का नितिन के पैर पर मारकर जख्मी कर दिया एवं सूचिका के गले से एवं लड़की के कान से सोने का जेवरात खींच लिया। कुछ अगल बगल के लोग आये तो सूचिका और अन्य लोगों को बचाया। सूचिका व अन्य लोगों का ईलाज सिकन्दरा अस्पताल में कराये।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदकगण द्वारा इस जमानत आवेदन आवेदन के अलावे न तो श्री मान् के न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में कोई जमानत आवेदन तो लंबित है और न दाखिल किया गया है। यह कि आवेदक साहेब रविदास के उपर लछुआड़ थाना कांड संख्या 90 / 25 अन्तर्गत धारा 124(2), 115(2), 352, 315 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत वाद लंबित जिसमें वह जमानत पर है। यह कि आवेदकगण के उपर इस मुकदमे के अलावे अन्य कोई मुकदमा लंबित नहीं है और न ही कोई आ. पराधिक इतिहास है। यह कि आवेदकगण को धारा 35(3)बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदकगण पर लगाया गया आरोप झूठा, मनगढ़ंत एवं काल्पनिक है। इसी केस का काउन्टर केस लछुआड़ थाना कांड संख्या 135 / 2025 है जो

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–207 / 2026

(लछुआड़ थाना कांड संख्या 136 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

विश्वनाथ तांती एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

12.03.2026
लगातार

आवेदक विश्वनाथ तांती के द्वारा मुदई पर किया गया था इसी के आक्रोश में आकर मुदई द्वारा वर्तमान झूठा केस किया गया है। यह कि धारा 303(2) का किसी खास मुदालह पर आरोप नहीं है बल्कि राउण्डअप आरोप है। यह कि आवेदकगण गांव के सभ्य एवं सामाजिक व्यक्ति हैं। आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त हैं तथा प्राथमिकी धारा 115(2), 126(2), 117(2), 303(2), 351(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित है इस वाद का प्रतिवाद लछुआड़ थाना कांड संख्या 135 / 2025 है। दोनों केस एक ही घटना को लेकर इन्हीं पक्षों के बीच पंजीकृत किया गया है। वर्तमान केस के अतिरिक्त आवेदकगण के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वाद दैनिकी की स्वतन्त्र साक्षी सुमित्रा देवी ने वाद दैनिकी की कंडिका 40 में साक्ष्य दिया है कि दिनांक 29.10.25 को सुबह लगभग 10:00 बजे पूर्व के एक मामले को लेकर गांव में पंचायत बैठीथी जिसमें एक पक्ष से विश्वनाथ तांती पिता मसुदन तांती तथा दूसरे पक्ष से नवलकिशोर तांती पिता स्व0 कैलाश तांती उपस्थित थे। पंचायत में गांव के कुछ सम्मनित लोग और ग्रामीण मौजूद थे। पंचायत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई परंतु उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बीच–बचाव कर मामला शांत करा दिया गया और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इन्होंने आगे बताया कि पंचायत समाप्त होने से कुछ समय पश्चात् उसी रंजिश में दोनों पक्ष के लोग सड़क पर आकर एक दूसरे को गाली–गलौज करने लगे। शोर–शराबा सुनकर दोनों पक्षों के परिजन एवं ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई ओर लाठी डंडा से मारपीट होने लगा। इस मारपीट में एक पक्ष के विश्नाथ तांती, मनोज कुमार, साहेब कुमार, एवं फूलो देवी, तथा दूसरे पक्ष के नवलकिशोर तांती एवं जयनंदन कुमार जख्मी हो गए। इनके अनुसार हो हल्ला सुनकर आस पास के और भी लोग वहां जमा हो गए और सबने मिलकर बीच–बचाव कर झगड़ा शांत कराया। तत्पश्चात् सभी जख्मी व्यक्तियों को उपचार हेतु सिकंदरा अस्पताल भेजा गया। इन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई अन्य घटना घटित नहीं हुई। साक्षी से कांड संख्या 135 / 25 की नामजद अभियुक्ता नंदिनी कुमारी के सम्बन्ध में पूछने पर इन्होंने बताया कि नंदिनी कुमारी शादी शुदा है उसके छोटे–छोटे बच्चे हैं तथा घटना के समय वह घर पर ही थी और उसी दिन उसे अपने ससुराल जाना था तथा स्वतन्त्र साक्षी उमा देवी ने सुमित्रा देवी के साक्ष्य का वाद दैनिकी की कंडिका 39 में समर्थन किया है। वाद दैनिकी एवं साक्षियों के ब्यान एवं फर्द ब्यान के अवलोकन से विदित होता है कि किसी भी अभियुक्त पर किसी को मारने या जख्म पहुंचाने का कोई विशिष्ट या

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–207 / 2026

(लछुआड़ थाना कांड संख्या 136 / 2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

विश्वनाथ तांती एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

12.03.2026 स्पष्ट आरोप नहीं है। किस अभियुक्त ने किस व्यक्ति को किस स्थान पर शरीर के किस भाग पर किस प्रकार से जख्म पहुंचाया इस सम्बन्ध में न तो प्राथमिकी में उल्लेख है और न ही किसी साक्षी ने इस सम्बन्ध में अभी तक के अनुसंधान में कोई साक्ष्य दिया है। पक्षकारों के बीच एक ही घटना का केस एवं काउन्टर केस है। साक्षियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज एवं मारपीट का उल्लेख किया गया है।

अतः इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है फलतः इस आदेश से 30 दिनों के अन्दर आवेदकगण द्वारा आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर तथा आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के शर्तों का पालन करने पर आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई

मेमो सं0..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारित–न्यायालय, श्री ऐहसान रशीद विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई